

महत्वपूर्ण सुचना

दिनांक: 24 मार्च 2020

समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारीयों को यह निर्देशित किया जाता है की देश में आयी इस आकस्मिक स्थिति (COVID -19) के कारण निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12.1.C के अंतर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को कक्षा -1 / पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में ऑनलाइन / ऑफलाइन प्रवेश तथा लाटरी हेतु समय-सारिणी को संशोधित किया जा रहा है जो कि निम्नवत है :

चरण	आवेदन करने की तिथियां (ऑनलाइन / ऑफलाइन) वर्ष 2020	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र (ऑनलाइन / ऑफलाइन) का सत्यापन कर उन्हें लॉक करने की अंतिम तिथि वर्ष 2020	लाटरी निकालने की तिथि वर्ष 2020	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चों का गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेशित कराये जाने का दिनांक वर्ष 2020
प्रथम	02 मार्च-10 अप्रैल	11 अप्रैल-13 अप्रैल	14 अप्रैल	30 अप्रैल
द्वितीय	18 अप्रैल-15 मई	16 मई-18 मई	19 मई	30 मई
तृतीय	23 मई-10 जून	11 जून-14 जून	15 जून	5 जुलाई

अतः आपको निर्देशित किया जाता है की उपरोक्तानुसार निर्धारित नए समय-सारिणी का संज्ञान रखते हुए आवश्यक कार्यवाही अपने - अपने जनपदों में समयबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
उत्तर प्रदेश, लखनऊ